

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



क्रमांक / डीसीडीसी / 2019 / 2637

15 जुलाई 2019
16

:: अधिसूचना ::

1. सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (यू.आर.-ई.डब्ल्यू.एस.) जो आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं को विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (यू.आर.-ई.डब्ल्यू.एस.) के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है।
2. विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध (बी.सी.आई. द्वारा विधि संकाय की निर्धारित सीट संख्या को छोड़कर) सीट संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, ताकि सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (यू.आर.-ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) को पूर्व अनुसार आरक्षण सुनिश्चित हो सके।
3. विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक डीसीडीसी / 2019 / 2611 दिनांक 03 जून 2019 के तहत जारी समय-सारणी यथावत रहेगी।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, अकादमिक गतिविधियों, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
2. संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियों, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
4. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
5. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
7. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल-को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. कुलपति के सचिव-को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. कार्यालयीन नस्ती

प्रभारी कुलसचिव